

उपवान  
वनाम  
केशर सिंह वगैरह

दावा बाबत धारा 53 आर टी एक्ट

निकटमा नम्बर :- 19/2011 यी.वा.

निर्णय दिनांक :- 22.06.2015

वादी की ओर से कानसिंह व अमरसिंह की तथा प्रतिवादी की ओर से केशरसिंह वगैरह की उपस्थिति में

इस वाद में आज तारीख 22.06.2015 को शैलेश सुराणा (नाम पीठाधीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव के

समक्ष आनिम निपटारे के लिए पेश होने पर- आदेश किया जाता है और लिखी दी जाती है कि तहसील ऋषभदेव

के मौजवा परवा की आराजी नं. 606/0.63 में से 0.08 है. - 608/0.33 में से 0.28 है. - आराजी नं. 610/0.07 है.

- आराजी नं. 611/0.03 है - 612/0.04 है. - 613/0.10 है. - 665/5.10 में से 0.35 है. कुल कितना 7 रकबा

0.96 है. कृषि भूमि का वादी श्री कानसिंह- अमरसिंह पिता धूलसिंह राजपुत के नाम खाता अलग कायम किया

जावे। बादयस्त शेष 6.67 हैक्ट. भूमि को शेष वादीगण संख्या 3 से 11 तथा समस्त प्रतिवादीगण विभाजित न कर

संयुक्त खातेदारी में ही रखना चाहते हैं। प्रारम्भिक लिखी की पालना में तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा बनायी गई

निर्णय व मौका पूर्वा दिनांक 16.06.2014 में भी अंकन है कि प्रतिवादीगण न तो भूमि बंटवाहा करने हेतु राजी है न

है नौक पर आते है। अतः यह शेष 6.67 हैक्ट. भूमि शेष वादीगण तथा प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में ही

रखी जावे तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि इस 6.67 हैक्ट. भूमि में शेष वादीगण संख्या 3 से 11

रकबा का तथा समस्त प्रतिवादीगण (1 से लेकर 31) का उनके द्वारा इस विभाजन से पूर्व मूल खाते (कुल कितना 15

रकबा 7.62 हैक्टर) में जितनी भूमि धारित की जा रही थी, उसी के अनुक्रम संशोधित हिस्सा दर्ज किया जावे ताकि

इन दोनों के द्वारा इस विभाजन से पूर्व तथा विभाजन के पश्चात धारित की जाने वाली भूमि क्षेत्र में कोई

कमी-बेशी न हो। तहसीलदार ऋषभदेव तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में पालना सुनिश्चित करेगा।

इसका पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगा।

यह आज तारीख 22.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

*Handwritten signature and date*  
22/6/15

(शैलेश सुराणा)  
(पीठाधीन अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर

ॐ नमो भगवते

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पर के लिए स्टाम्प	10	शक्ति पर के लिए स्टाम्प	2
प्रदर्शा के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
रूपये पर प्लीडर की फीस		प्लीडर की फीस	
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
		आदेशिका की तामील	

वाद के खर्च